जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 17.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना घनघटा क्षेत्रांतर्गत सुरैना चौराहा से कालर द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर हो जाने से घायल 01 व्यक्ति (1.अकबर पुत्र जुमारती ग्राम सुरैना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 उपेन्द्र कुमार, हो0चा0 रामहित प्रजापति।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनों से 91,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 73 वाहनों से 91,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के मारपीट के मामले में 03 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 8100रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन*** व ***मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 16.01.2025 को ***मा0 न्यायालय जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 241/1999 धारा 323, 325, 427, 504 भादवि प्रतिवादी 1. जनार्दन यादव 2. जैम्पियन यादव पुत्रगण फुलई यादव 3. सुभाष यादव पुत्र छोटई निवासीगण भैंसही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में आदेश दिया गया कि अभि0गण जनार्दन यादव, जैम्पियन यादव पुत्रगण फुलई यादव व सुभाष यादव पुत्र छोटई साकिनान भैंसही थाना महुली संतकबीरनगर मु0सं0 223/12, अ0सं0 241/1999 अन्तर्गत धारा 323 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 200रु0 (दो सौ रुपये) धारा 325 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1500रु0 (पन्द्रह सौ रुपये) धारा 427 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 500रु0 (पाँच सौ रुपये) व धारा 504 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 500रु0 (पाँच सौ रुपये) प्रत्येक अभियुक्त द्वारा (दो हजार सात सौ रुपये) कुल 8100रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 05-05 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा प्राप्त अर्थदण्ड से क्षतिपूर्ति के रुप में 4000रु0 (चार हजार रुपये) वादी के पक्ष में दिया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में दण्डादेश अविलम्ब अधीक्षक, जिला कारागार संतकबीरनगर अनुपालन हेतु प्रेषित किया जाये।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 02 स्थानो पर लगवाये गये 08 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 17.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 02 स्थानों पर 08 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरें व थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 023/2025 धारा 147, 148, 149, 395, 323, 506, 376D भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सुनील कुमार विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम विश्वकर्मा निवासी जंगल खुर्द गोडवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 16.01.2025 को बालू शासन पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 09.01.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त व उसके सहयोगियों के विरुद्ध वादिनी के साथ दिनाँक 23.05.2024 को सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट, मोबाईल व गहने छीन लेने तथा धमकी देने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर दिनांक 16.01.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, व0उ0नि0 श्री राजेश दूबे, का0 मनीष कुमार यादव ।